शोध मंथन Vol. XIV No.IV Oct.-Dec. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

महिला आरक्षण कानून : पितृसत्ता से मुक्ति या चुनावी युक्ति

प्राप्तिः 21.10.2023
स्वीकृतः 22.12.2023

डा० माया गुप्ता
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
बी०डी०एम०एम० गर्ल्स डिग्री कांलेज
शिकोहाबाद, फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश
ईमेलः *mayagupta436@gmail.com*

सारांश

यह लेख एक समीक्षात्मक शोध प्रपत्र है। इस लेख के द्वारा यह तलाशने का प्रयास है कि क्या महिला आरक्षण का 2023 वास्तव में महिलाओं को वैधानिक स्थान प्रदान करने में सक्षम है, यह महिलाओं के लिए सिर्फ दिवास्वप्न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ महिला शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन गया है। जिसके द्वारा लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को पंचायती राज की भांति ही 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। महिलाओं महिला होने का आधार लैंगिक विभाजन अब तक माना जाता रहा है। जो शारीरिक बल के आधार निर्धारित होता है। यह कितना सही और गलत है यह विचार मंथन का मुद्दा है। किसी भी देश के विकास के आधार वहाँ की संपूर्ण जाति होती है। इस कानून के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास सराहनीय है। परंतु इसे लागू करने में विलंब के पीछे की सोच को भी समझना होगा। जिससे कि इस कार्य के प्रति वर्तमान सरकार की सोच को भी विश्लेषित किया जा सके। प्रस्तुत पत्र द्वारा यह समीक्षा करने का प्रयास है, कि महिला आरक्षण कानून 2023 वर्तमान में कितना कारगर व प्रासंगिक है। इसके साथ ही इसके प्रावधानों द्वारा महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव आएगा। जो यह सिद्ध करेगी की महिता आरक्षण कानून 2023 के प्रावधान महिलाओं की स्थिति में कितना सार्थक परिवर्तन कर देगा। वर्तमान सरकार द्वारा कानून के आधार पर्वस्तव में महिलाओं को पुरुष सत्ता से मुक्ति चाहती है, या वर्तमान सरकार चुनाव जीतने की युक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहती है।

क्योंकि आधी आबादी को आकर्षित करना और उनके लिए कानून निर्माण करना फिर उसे अर्थात महिला आरक्षण कानून 2023 का स्वप्न दिखाकर उसे अगले चुनाव तक टाल देना यह कहाँ तक उचित है। आजादी अमृत काल में महिलओं की विकास की बाते फिर महिला वंदन कानून जिसका इंतजार आधी आबादी लगभग 75 वर्षों से कर रही है। उसका और इंतजार यह कहां तक उचित और सही है, यह सोचने का विषय है।

मुख्य बिन्दु

क्रेडिट पॉलिटिक्स, नारी शक्ति वंदन कानून, महिला आरक्षण, प्रतिनिधित्व, जनगणना, परिसीमन।

अध्ययन का महत्व

समकालीन परिप्रेक्ष्य में महिला आरक्षण, व प्रतिनिधित्व उतना ही महत्वपूर्ण हैं, जितना भारत के विश्व गुरु व विकसित राश्ट्र होने की परिकल्पना। भारत मे महिला आरक्षण के सन्दर्भ मे सम्यक् दृष्टि व स्पष्ट सोच ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके अध्ययन की आवश्यकता प्रस्तुत करता है।

शोध–प्रविधि

प्रस्तुत शोध–पत्र गुणात्मक शोध पद्धति पर आधरित हैं। इस शोध पत्र मे ऐतिहासिक व व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक प्रणाली का प्रयोग किया गया हैं। तथ्य संकलन की विधि द्वितीयक स्रोतो पर आधारित है।

प्रस्तावना

आस्टिन ने कहा कि " कानून सम्प्रभु की आज्ञा है।' तो क्या महिला आरक्षण कानून भी इसी दायरे में हैं। सम्प्रभु अधिकारो की सृष्टि नहीं करते परंतु उसे स्वीकार करते हैं। और उसकी रक्षा करते हैं। तो वर्तमान में स्थापित महिला कानून क्या महिला के अधिकारों की सृष्टि करता है या फिर उसका कानून को स्वीकार करने और उसकी रक्षा करने का श्रेय वर्तमान सरकार को दिया जाना चाहिए, जब हम महिलाओं की बात करते हैं। तो शायद हम उस मूल्य को उस जीवन जीने की कला को भूल जाते है। जो हमें मातृशक्ति ने सिखाई है। किसी तत्व को हम आगे बढ़ते हैं तो हम किसी तत्व को पीछे नहीं धकेल सकते है। आजादी के 75 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत होने के बाद भी इस कानून को विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से कई वर्षो के लिए विलंब करना कितना उचित हैं। यह सोचनीय विषय हैं।

सिमोन द बेवियर ने कहा था की "औरतें पैदा नहीं होती, बल्कि बना दी जाती है।" सिमोन ने सही व्याख्या की महिलाओं की स्थिति की कि वह जन्म के साथ ही जिस तरह से एक पुत्र मां की कोख से जन्म लेता है। उसी तरह से एक बेटी भी जन्म लेती है। परंतु पुत्र और पुत्री की परिस्थितियों में अंतर करने के कारण वह औरत बन जाती है और वह आदमी बन जाते है। यद्यपि जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते है। तो औरतों की मानसिक स्थिति और ऐसा माहौल दिया जाते हैं, की औरतें, औरत बन जाती है। और वह समाज को स्वीकार करने में लड़ने में पीछे हट जाती है। और हमारे वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था मे महिला की पहुंच कहां तक है। यह विश्लेषण करने का विषय है।

महिला आरक्षण कानून का आवश्यकता

यदि मान लिया जाये कि वर्तमान सरकार महिला आरक्षण कानून के प्रति राजनीति नही है, तो उससे पूर्व क्यों नहीं किया गया। अभी जब वर्ष 2024 में चुनाव होने है, तो अभी महिला आरक्षण बिल लाना वर्तमान सरकार की मजबूरी के रूप में नजर आता हैं। क्योकि दो बार केंद्र में रहने के बाद तीसरी बार जब कोई मुद्दा बचा ही नहीं तो महिला ही नजर आ गई। क्योकि चुनाव में प्रति भाग करने वाला यह आधी आबादी जिसे सिर्फ प्रयोग किया जाता रहा है। महिला आरक्षण को लेकर की 73वें 74 में संविधान संशोधन को उदाहरण के रूप में भी लेना चाहिए, जो आधार बन सकती है। वर्तमान महिला आरक्षण कानून की। हमें पंचायतो व नगर निगमों में महिलाओं के आरक्षण का महिला विकास में कितना संबल मिला, यह समीक्षा का विषय है। भारत की आधी आबादी को आगे बढ़ाने की मंशा का इसलिए देखना होगा कि महिला आरक्षण कानून जब लागू

हो जाएगा तो कितनी सशक्त हो जाएगी। वर्तमान संसद में महिलाओं के आँकड़ो को देखे तो स्थिति स्पष्ट होती है।

वर्ष 2019 में संसद महिलाओं की स्थिति

कुलसीट–लोकसभा	महिला सदस्य	प्रतिशत	कुलसीट–राज्यसभा	महिला सदस्य	प्रतिशत
543	78	14•4	238	31	13

जो पीढ़ी दर पीढ़ी दबी–कुचली वह आज इस आरक्षण की वैशाखी से कितनी तेज भाग पाएंगी और कितना आगे निकल जाएगी वह पुरुषों से। यह आरक्षण पुरुषों की सोच में बदलाव ले आयेगा या जैसी दशा नगर पंचायत और नगर निगम में महिलाओं की हुई है। वही परिणति होगी या फिर इससे भी आगे निकल जाएगी। गणेश चतुर्थी पर्व पर शुभ कार्यों का प्रारंभ करने हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' को लोकसभा में प्रस्तुत किया। संसद मे सहमति के साथ 29 सितम्बर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही विधेयक ने कानून रुप प्रदान कर दिया गया। जो महिलाओं के इतिहास मे स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। इसके प्रावधनों के अनुसार यह तब लागू होगा जब केन्द्र सरकार राजपत्र द्वारा अधिसूचना जारी करेगी। आखिरकार सरकार दिखाना क्या चाहती है कि महिलाओं का अधिकार तो देंगे परंतु महिला आरक्षण के लिए और इंतजार करना होगा क्योंकि अगर महिलाएं जब 27 सालों से कुछ नहीं बोली तो अब क्या बोलेगी। महिला आरक्षण का लड्डू दिखा कर बेवकूफ बनाया जा सकता है।

महिला आरक्षण कानून के प्रमुख प्रावधान

महिला आरक्षण कानून का प्रस्तुति का इतिहास देखे तो 1996 में पहली बार 81वे संविधान संशोधन के द्वारा महिला आरक्षण बिल एच0 डी0 देवगौड़ा द्वारा लाया गया था। 1998 में दूसरी बार वाजपेयी सरकार द्वारा लाया गया। वर्तमान में 19 सितंबर 2023 को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा मे प्रस्तुत किया। 128 वे संविधान संशोधन के लिए नारी वंदन अधिनियम को संसद मे प्रस्तुत किया गया। इसमे चार प्रमुख संशोधन के लिए प्रावधान हैं।

1. अनु–239ए इसके अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली असेम्बली में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण किया गया हैं।
2. अनु–330ए लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण किया गया हैं।
3. अनु–332ए राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण किया गया हैं।
4. अनु–334ए मे चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की बात की गयी हैं।

जबकी 84 वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा परिसीमन 2026 के बाद ही होगा। जब परिसीमन के बाद लागू करने का प्रावधान ही रखना था तो फिर इस विधेयक अभी लाने का क्या मतलब हैं।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षण अनुच्छेद 243 डी के अनुसार 33 प्रतिशत आरक्षण दिए गए। परंतु इन अधिकारों की मिलने की बात भी आज भी गांव में महिलाओं के चुनाव में तो जीत जाती है, परन्तु चुनाव प्रचार से लेकर अहम फैसले तक उनके पति द्वारा लिया जाता हैं।

जो प्रधान प्रति होते हैं। जो महिलाओं के सशक्तिकरण, स्थिति सुधार पर प्रश्न चिंह खड़ा करता है। साथ ही राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को ही आगे बढ़नें मे मदद करता है।

महिला आरक्षण कानून चुनावी युक्ति या पितृसत्ता से मुक्ति

इस शोध पत्र के माध्यम से यह पता करने की कोशिश है कि निष्कर्षतः यह चुनावी जीतने का तरीका है या फिर वास्तव में महिला को सशक्त करने का प्रयास हैं। पिछले चुनावी मतदान के आंकड़े महिला की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

क्योंकि इस संविधान संशोधन के प्रावधान के अनुसार अगली जनगणना उसके बाद ही यह लागू होना है। इसमे यह भी प्रावधान हैं कि 15 वर्षों के बाद संसद की पुनः विचार करेगा। इसमें संशोधन, समाप्त करना या आगे बढ़ाना उनका काम होगा। इस तरह यह कानून 2029 के बाद लागू होगा। ऐसा कहा जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे देश महिलाओं को उचित अधिकार देकर सशक्त महिला बनाना जिससे यह कानून महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो।या फिर महिलाओं के हाथ में सिर्फ एक लड्डू के रुप में होगा जो देखकर खुश तो हो पाएंगे, किन्तु खा नही सकेगें।

संविधान के अंतर्गत एससी और एसटी की महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाता है और वही पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण की बात नही की जाती है।

महिला आरक्षण की दूसरे पक्ष पर दी हमने डालें तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण को लेकर एक विवादित टिप्पणी दी, इसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पर बॉबकट और क्रीम लिपस्टिक वाली आ जाएगी। यह हमारे सामाजिक व्यवस्था की सोच को व्यक्त करता है, कि हमारे कुछ राजनीतिज्ञ महिलाओं के संदर्भ में कैसी सोच रखते हैं। क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले इसे विधेयक को उनको इस तरह से महिलाओं के संदर्भ में बोलने का अधिकार कौन देता है। महिलाओं को संसद से लेकर विधानमंडल तक प्रतिनिधि बनाने की बात हो रही है। और साथ में राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरह के वक्तव्य भी दिए जा रहे है,यह कहां तक सही है। महिलाओं को विधानसभा और संसद में स्थान देने से पूर्व राजनीतिक दलों को अपनी दलों के अंदर महिलाओं को स्थान देना होगा। तभी उन्हे लोकसभा और विधानसभा में स्थान मिल पाएगा, अन्यथा की स्थिति में इस आरक्षण के लागू होने के बाद भी महिलाओं की स्थिति वैसी रहेगी जैसे कि पहले थी। यदि हम वास्तव में महिला जाति को आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस कुंठित मानसिकता से आगे निकलना ही होगा।

वर्ष 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश बनने के साथ ही महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण कदम था। जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश और फिर संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया। विश्व भर में महिलाएं लोकसभा के कुल सदस्यों की लगभग 14 प्रतिशत करती हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी लोकसभा महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभगग 10प्रतिशत तक ही रहा है।

हम अगर देखेंगे कि वास्तव में कम प्रतिनिधित्व का कारण क्या रहा है। तो कारण यह रहा है कि महिलाओं में प्रतिस्पर्धा की कमी रही। उन्होंने पुरुषों की तरह घर के बाहर निकल के समाज में संघर्श नहीं किया, वह घर के अंदर ही पड़ी रह गई। और उन्होंने उनके अंदर राजनीतिक

जागरूकता की कमी पाई गई। साथ ही उनमें लिंग में संबंधी भेदभाव के कारण भी उन्होंने अपने आप को कमजोर और अशक्त के रूप में विश्लेषित किया। जिसने महिलाओं को परिवार और समाज के साथ ही सामाजिक रूप से सशक्त तो किया परंतु राजनीतिक रूप से वह सशक्त नहीं हो पाई। उनके अंदर राजनीतिक शिक्षा का अभाव रहा। उन्होंने राजनीति से अपने आप को दूर ही रखा क्योंकि राजनीति जैसी जगहों को पुरुषों के लिए छोड़ देने की मानसिकता ने उन्हें कभी भी राजनीतिक शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ाया। और यह भी माना जाता है कि महिलाओं मे राजनीतिक समझ की कमी होती है, उनका कार्य जो है उनका परिवार होता है। और उस दीवार को भंग करके महिलाये आगे नहीं निकाल पाती हैं।

राजनीतिक नेटवर्क की भी कमी रही है। महिलाये राजनीतिक बातों के अलावा वह समाज की और परिवार के बातों तक की सीमित रह जाती है। उनके पास संसाधनों की कमी रही है। और उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नही हुआ है। पुरुष और महिला के संदर्भ में जो दो धारणाएं समाज में चली आ रही हैं। जो मानवता के स्थान पर लैगिकता को महत्व देती है। जिसके कारर्ण महिलाओं की स्थिति समाज में कभी भी सुधार नहीं पाई है। महिलाओं के प्रति जो आकर्षण पुरुषों का होता है, उस आकर्षण ने महिलाओं को एक मानव के स्थान पर एक वस्तु बनाकर के रख दिया है।

परंतु हम यह कह सकते है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा बदलाव तो हुआ है। कुछ गांव की पढ़ी–लिखी महिलाएं जो आगे निकलकर आई है। और उन्होंने सत्ता को संभाला है तो उन्हेंने महिलाओं के दशा उसे दिशा को बदल दिए है। सामाजिक व्यवस्था को बदलाव का प्रयास किया है। और आगे बढ़कर यदि आप उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए या कहे सामाजिक विकास के लिए आगे विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचती है, तो निश्चित ही देश की तस्वीर कुछ और ही होगी। महिला अधिकारिता पर संसदीय समिति संसद की 11वीं लोकसभा के दौरान 1997 पहली बार गठित की गई। जो महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में संवाद करती है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य विधानसभा और संसदीय चुनाव में महिलाओं के लिए न्यूनतम सहमत प्रतिशत सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। क्योंकि भारत में चुनाव आयोग के द्वारा यदि यह प्रावधान किया जाता है, तो चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा न्यूनतम प्रतिशत जो है कि महिलाओं के लिए रिजर्व होगी तो यह महिलाओं के विकास में काफी सहायता करेगा। जब उन्हें मौके मिलेंगे तो वह बाहर निकल करके आएंगी और वह समाज को एक नया स्वरूप देंगी, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता हैं।

वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा किए गए जातिगत जनगणना की आंकड़े आश्चर्यचकित करते हैं कि राज्य में पिछड़ाओं एवं अति पिछड़ा वर्ग का 63 प्रतिशत होने के बावजूद भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाता है। यही हाल महिला आरक्षण में भी है, महिलाओं की एससी और एसटी महिलाओं को तो उनकी संख्या बल के आधार पर आरक्षण प्राप्त है। परंतु पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को इस बिल में अंधेरे मे रखा गया है।

कुछ कमियों को लिये हुए भी यह महिला आरक्षण कानून जो है महिला पर बहुत कुछ मामलों में महत्वपूर्ण भी है। भारत में विकसित राष्ट्र होने की शक्ति है। यदि युवा शक्ति में आधी आबादी को अनदेखा किया जाता है, तो शायद यह विकास की राह को आसान कर नहीं कर पाएगां। नारी शक्ति वंदन कानून के नाम कानून का पास हो जाना यह दिखाता है कि महिलाओं की प्रति

वर्तमान सरकार की सोच तो काफी अच्छी है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तीन तलाक के बाद महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया है। परंतु यह महिला आरक्षण कानून महिलाओ के सशक्तिकरण के प्रश्नों का जवाब है। जिनके लिए महिलाओं ने 75 साल इंतजार किया। महिला बिल आने के लगभग 28 वर्षों के बाद भी विभिन्न प्रावधानों द्वारा उसको सीमित करना उचित हैं। लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं महिलाओं की संख्या बढ़ाने और उनके सशक्त करने का सकारात्मक प्रयास है।

समाज की हर स्त्री को स्थान देने से पूर्व हमें तो सशक्त समाज के विचार धारा को सकरात्मक करने की जरूरत है। लड़कियों की शिक्षा केवल महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उनके सर्वांगीण विकास भी होनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज में विश्वविद्यालयों मे लड़कीयों को प्रौद्योगिकी के साथ–साथ सामान्य गुण भी सिखाएं जाने पर बल दिया जाना चाहिए। जिससे महिलाओं का रुझान स्टार्टअप की तरफ जाए, समय की आवश्यकता है कि श्रम बाजार में सुधार से अधिक से अधिक महिलाओं का हिस्सा बनाया जा सके। महिला आरक्षण अधिनियम उनके व्यावहारिक अर्थो में सुखो मे वृद्धि करने का काम करेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महिला आरक्षण बहुत सारी कमियों के लिए हुए भी उनको विकास के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ती है।

महिला आरक्षण कानून वर्तमान सरकार का गंभीर प्रयास हैं। संसद व विधानसभाओं मे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण मे महिलाओ को 33 प्रतिशत देना उचित हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को एक हिस्से को उन्होंने छोड़ दिया है। उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम अभी परिसीमन और जनगणना के बाद उसको लागू करेंगे। तब उसमें जो भारत की अधिकांश महिलाएं जो पिछड़ी जाति से आती हैं। अगर उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है तो यह सिर्फ उच्च जाति की महिलाओं के लिए ही बना हुआ बिल बनाकर रह जाएगा।

महिला आरक्षण कानून की प्रमुख कमियां

जर्नल आफ एकोनामिक विहेवियर आर्गनाइजेशन के शोध के अनुसार जहां महिला सांसद ज्यादा हो उन सरकारों में भश्ट्राचार कम हैं। 2021 मे ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार भारत में पालिटिकल इम्पावरमेंट इंडेक्स 13:5 प्रतिशत गिर गया हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट पारंपरिक प्रेरणा मूल्य एवं नैतिकता होती है। वर्तमान युग युवाओं के माध्यम से प्रभावित होती है। भारत में 17 राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10प्रतिशत से भी कम है। विकसित भारत की संकल्पना की मूल में जो युवाओं की शक्ति है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। यदि हम युवाओं की शक्ति के साथ ही उस आधी आबादी की भी चर्चा करें तो ज्यादा समसामयिक होगा।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न देखने वाला भारत भविष्य की वह शक्ति है। उसमें हम आधी आबादी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वर्तमान सरकार समय रहते इस बिल में सुधार करके उसको जल्द से जल्द लागू करती है, तो यह महिलाओं के हित में होगा। इसके स्थान पर यदि इसमें विभिन्न तरह के प्रावधान देकर के इस पर रोक लगाना, और इसमें आधी आबादी को जो पिछले 27 वर्ष से इन्तजार कर रही है, उसकी अनदेखी करना कभी भी सही नहीं होगा। नारी वंदन कानून –2023, भारत में लागू होती है तो संसद का हर तीसरा सदस्य इसकी महिला होगी। नारी शक्ति वंदन कानून 2023 के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, कि लोकसभा और विधानसभा में महिला भागीदारी का विस्तार करने के ही भारत को विकसित किया जा सकता है। इस आरक्षण मे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नही मिल पा रहा है। कानून के पास होने के बाद भी कुछ प्रावधानों के माध्यम से इसे लागू नही करना सबसे बड़ी कमी हैं।

निष्कर्ष

डॉ भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि यदि आप किसी देश का विकास देखना चाहते हैं तो वहां की महिलाओं के विकास को जान लीजिए। आप समझ जाएंगे कि वह देश कितना विकसित है। यद्यपि यह कानून वर्तमान सरकार की 'क्रेडिट पॉलिटिक्स' का एक हिस्सा है। वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बहुमत भी है, और नियत भी है। तो यह नियत और बहुमत पहले भी होने के बाद भी पहले इस कानून क्यों नहीं लागू किया गया। अभी जब 2024 का चुनाव पास है, तो क्यों लाया गया। निष्कर्षतः यह चुनावी जीतने का तरीका है।

यदि हमको महिला आरक्षण कानून को लागू करना हैं, तो सबसे पहले सभी पार्टीयो के आरक्षण में महिला आरक्षण को भी उचित स्थान देना होगा। तभी यह संभव हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में महिलाओं के संदर्भ में पहले पार्टियों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। तभी हम देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित स्थान दिला पाएंगे।

सन्दर्भ

1. शर्मा, सुभाष. (2012). भारतीय महिलाओं की दशा. आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेडः पंचकुला हरियाणा।
2. गुप्त, विश्व प्रकाश., ग्रुप्ता, मोहिनी. (1997). बी0 आर0 अम्बेडकर, व्यक्तित्व व विचार. राधा पब्लिकेशनः दिल्ली।
3. तिवारी, गीता. (2019). पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सक्रियता. अप्रकाशित शोध प्रबंध, कुमाऊ विश्वविद्यालयः नैनीताल।
4. डा० प्रवीण. (2009). महिला सशक्तिकरणः बाधाएं व संकल्प, आर0 के0 पब्लिशर्सः दिल्ली. पृष्ठ **27.**
5. सिंह, डा० निशांत. (2010). महिला राजनीति व आरक्षण. ओमेगा पब्लिकेशनः दिल्ली।
6. Tiwari, Nupur. (2016). Panchayati Raj and Women Empowerment. New Century Publication.

वेबसाइट

7. http://hi.prsindia.org accessed on 15Oct 2023
8. http://egyankosh.ac.in accessed on 15Oct 2023
9. http://www.drishtiias.com.hindi accessed on 15Oct 2023
10. http://www.csirs.org.in accessed on 15Oct 2023
11. http://ncw.nic.in accessed on 15Oct 2023